

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील - एक / 16

अपील 2208-ई/16

श्री. राजा अशोक शर्मा
द्वारा आज दि. 21/7/16 को
प्रस्तुत

बिना
व्यक्तिगत मण्डल म.प्र. 16/16

R.V.S.
21/7/16

- 1-तन्सू तनय दलुवा चमार
- 2-दमरू, बारेलाल, रामचरन, हरचरन
रामप्रसाद तनय रामदास चमार
- 3-लटोरा तनय हरबल खुर्द
निवासी ग्राम वनपुरा खुर्द,
तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

----अपीलार्थीगण

विरुद्ध

लछुवा तनय नथुवा अहिरवार
निवासी ग्राम वनपुरा खुर्द
तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

----प्रतिअपीलार्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0, भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 16.06.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बल्देवगढ़,
जिला टीकमगढ़ प्र0क0 42/अपील/2014-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

3


र
गेर
भी
। के
ध में
गागीय
गारा-5
ई और
त्या।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-अपील-2208-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

तन्सू आदि विरुद्ध लछुवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के प्र.क्र. 42/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 44(2) सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"> (आर0क0 जैन) 24/4/19 सदस्य</p>